राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–939/2006/उदयपुर

सरदार हरचरण सिंह पुत्र सरदार खजान सिंह
एम.बी.कालेज के सामने, उदयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, वृत्त बी, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के. पारीक
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.08.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा धारा 9 सपठित धारा 84 राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा व्यवसायी द्वारा अवार्डर को जमा कराये गये कर का समायोजन नहीं देने के आदेश को यथावत रखते हुए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड द्वितीय वृत्त बी उदयपुर द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9(2) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 29(4) के तहत पारित आदेश दिनांक 06.01.2003 की पुष्टि की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपवन संरक्षक, उदयपुर, तथा उपमुख्य, वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर से तेन्दु पत्ता संग्रहण करने का ठैका लिया था। वन विभाग के उक्त अधिकारियों ने पृथक से बिक्री कर वसूल किया है जो राज्य कोष में जमा करा दिया है। यह कर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ उडीसा बनाम टीटागढ पेपर मिल्स लि (1985) 60 एस.टी.सी. 213 के परिप्रेक्ष्य में गलत वसूली के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी से वर्ष 98–99 के कर के पेटे समायोजन चाहा था लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने निर्णय दिनांक 06.01.2000 द्वारा समयोजन देने से इन्कार किया। अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्वीकार की गई। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्व यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. बहस विद्वान उभयपक्षय बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक व्यवसायी ने कथन किया कि अपीलार्थी ने तेन्दु पत्ता संग्रहण करने का ठेका लिया था। वन विभाग के अधिकारियों ने पृथक से बिक्री कर वसूल किया है जो राजकोष में जमा करवा दिया है। यह कर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ उडीसा बनाम टीटागढ पेपर मिल्स लि (1985) 60 एस.टी.सी. 213 के परिप्रेक्ष्य में गलत वसूल किया गया है जिसका समायोजन वर्ष 1998–99 के पेटे अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर समायोजन दिया जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी का वर्ष 98–99 का कर निर्धारण दिनांक 06.01.2000 को सम्पन्न किया है। इस आदेश के अनुसार ठेकेदार का वर्ष के दौरान कुल रू 33,61,950/– के तेन्दु पत्ता की अन्तरप्रान्तिय बिक्री की गई है। अपीलार्थी ने यह तेन्दु पत्ता वन विभाग की 2 एजेन्सी उप वन सरंक्षक, दक्षिण तथा उप मुख्य वन जीव प्रतिपालक के ठेके के मार्फत संग्रहित की हैं। अपीलार्थी ने इस ठेके राशि पर बिक्री कर दोनो कार्यालयों को जमा कराया है और दोनो कार्यालय के पदाधिकारियों ने राज्यकोष में जमा कराया है। इससे स्पष्ट है कि दोनों पदाधिकारियों ने बिक्री कर अपीलार्थी व्यवसायी से वसूल किया है। वन विभाग के दोनो पदाधिकारी पंजीकृत हैं ऐसी स्थिति में जमा राशि समायोजन आदि बाबत् पंजीकृत विभाग ही नियमानुसार कार्यवाही हेतु सक्षम है। उपरोक्त आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने इस राशि का व्यवसायी के पक्ष में समायोजन देने से मना किया है तथा अपीलीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार भी यदि विक्रय कर राजस्व विभाग को अपीलार्थी ने जमा नहीं कराया है तो इसका रिफण्ड/समायोजन अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने के कारण हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है। अपील स्तर पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड द्वितीय वृत 'बी, उदयपुर के समक्ष धारा 56 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करना बताया है, अतः इस संबंध में निर्देश है कि यदि इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हुआ है तो सम्बन्धित योग्य अधिकारी इस प्रार्थना पत्र का नियमानुसार एवं विधिसम्मत निस्तारण शीघ्रता से करें।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य